न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 215/2022 तारीख रजू :–24.08.2022

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार हरसोलिया
R.A.S.

बब्बू खाँ बनाम गुलाब खाँ

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं सपठित धारा 151जा0दी0

उपस्थित:–1.श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट प्रार्थी/गैरसायल सं.6
2.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट अप्रार्थीगण/ सायलान

निर्णय

दिनांक :– 26.12.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील प्रार्थी/गैरसायल सं06 ने दिनांक 27.09.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र कमरूद्दीन के वारिस पुत्र बब्बू व पुत्रियॉ शकीला और मछला की ओर से खसरा नम्बर 827, 841, 847/1215 व खसरा नम्बर 569, 570 स्थित ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु अधिवक्ता श्री अशोक नीमनका के माध्यम से इस न्यायालय में दायर किया है, जबकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में कमरूद्दीन के समस्त वारिसान जिनमें उक्त प्रार्थना पत्र के सायलान भी शामिल हैं, पूर्व में इसी न्यायालय में दावा बाबत् तकासीम व स्थायी निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी गुलाब खाँ बनाम बब्बू खाँ दायर किये गये, जो स्वंय प्रार्थना पत्र हाजा के सायलान व सहखातेदार गुलाब खाँ की ट्रांसफर एप्लीकेशन पर उक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस न्यायालय से श्रीमान् जिला कलक्टर करौली के आदेश से अंतरित होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:27:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपखण्ड अधिकारी, करौली के यहाँ सुनवाई हेतु भेज दिये गये, जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय दिनांक 08.08.2022 को हो गया है और उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञाा गुलाब खॉ आदि बनाम बाबू खॉ उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा खारिज फरमाया दिया गया तथा उक्त उनवान का दावा वर्तमान में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करौली के यहाँ विचाराधीन है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि उक्त प्रकरण उनवानी गुलाब खॉ आदि बनाम बाबू खॉ के तथ्यों को छिपाते हुए कमरूद्दीन के तीन वारिसों द्वारा यह प्रार्थना पत्र/दावा न्यायालय को मुगालता देते हुए विधि विरूद्ध तरीके से पूर्व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 08.08.2022 को खारिज होने के पश्चात पुनः एकतरफा में बराये बदयान्ति स्थगन लेने के उद्देश्य से दायर किये हैं, जबकि पूर्व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व दावे उनवानी गुलाब खॉ आदि बनाम बाबू खॉ व वर्तमान दावा हाजा में विवादित भूमि के सम्बन्ध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य में पूर्व में संस्थित वाद में विवाधक विषय प्रत्यक्षतः और सारतः समान हैं तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 08.08.2022 को खारिज फरमा दिया गया है, ऐसी स्थिति में कानूनन वर्तमान प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं है, क्योंकि एक ही विवादित भूमि के सम्बन्ध में उन्हीं पक्षकारों के मध्य पूर्ववर्ती प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में उत्पन्न प्रश्नों के बाबत् सक्षम न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनकर अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में कानूनन उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं है और पूर्व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी गुलाब खॉ आदि बनाम बाबू खॉ आदि सक्षम न्यायालय [illegible] रूप से पक्षकारों को सुनकर दिनांक 08.08.2022 को निर्णित [illegible] उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 11 सीपीसी के तहत [illegible]डीकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने से चलने योग्य नहीं है और [illegible] जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:27:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

सायलान/ अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी का कोई जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। बल्कि सीधे ही बहस करने का निवेदन किया।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/गैरसायल सं06 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण/सायलान ने दौराने बहस अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण में समान पक्षकार व समान आराजीयात नहीं है। पूर्व में पेश किये गये दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अन्तर है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी/ गैरसायल सं06 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली मुकदमा नं0 253/2021 हाल नं0 10/2022 उनवानी गुलाब खॉ वगैराह बनाम बाबूखॉ वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि गुलाब खॉ वगैराह के [illegible] मुकदमा इसी न्यायालय पेश किया था, जो सायल गुलाब खॉ के [illegible] श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, करौली के यहॉ उक्त मुकदमा की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्यत्र न्यायालय में ट्रांसफर किये जाने के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:27:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

करौली के यहॉ वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय से ट्रांसफर किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली ने मुकदमा नं0 253/2021 हाल नं0 10/2022 उनवानी गुलाब खॉ वगैराह बनाम बाबूखॉ वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 569 रकबा 0.26 है0, 570 रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन में दिनांक 08.08.2022 को मेरिट पर खारिज कर दिया गया। मुकदमा नं0 10/2022 उनवानी गुलाब खॉ वगैराह बनाम बाबूखॉ वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एवं मुकदमा नं0 215/2022 उनवानी बब्बू खॉ वगैराह बनाम गुलाब खॉ वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में समान आराजीयात, समान पक्षकार एवं समय विषय वस्तु होना स्पष्ट है। इस प्रकार उक्त विचाराधीन प्रकरण में रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। जिसके अनुसार एक ही विवादित आराजीयात के बाबत् पूर्व में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 08.08.2022 को उपखण्ड अधिकारी करौली से निर्णित होने के उपरान्त पुनः उसी विवादित आराजीयात के बाबत् उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी विषय वस्तु का वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश नहीं किया जा सकता है। यदि पेश किया जाता है तो वह धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली में विचाराधीन पूर्व का मुकदमा नं0 10/2022 उनवानी गुलाब खॉ वगैराह बनाम बाबूखॉ वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 08.08.2022 को मेरिट पर खारिज हो चुका है। अतः उक्त प्रकरण में धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के लागू होने के कारण सायलान का मुकदमा सं0 215/2022 उनवानी बब्बू खॉ वगैराह बनाम गुलाब खॉ वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:27:12 IST
Reason: SelfAttested

अतः धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान मुकदमा नं0 215/2022 उनवानी बब्बू खॉ वगैराह बनाम गुलाब खॉ वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 24.08.2022 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विपक्षी किये जाते हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:27:12 IST
Reason: SelfAttested